भारत में पत्रकारों की वैचारिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधित कानून एवं सामाजिक आर्थिक तथा राजनैतिक दबाव : एक अध्ययन

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
से जनसंचार एवं पत्रकारिता विषय में
पी-एच.डी. उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-सार

शोधार्थी

शालिनी श्रीवास्तव

नामांकन सं०–478/15

शोध निर्देशक

प्रो. गोपाल सिंह

जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग
मीडिया एवं संचार विद्यापीठ
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालयः **NAAC - A++** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय)
विद्याविहार, रायबरेली रोड,
लखनऊ–226025 (उ०प्र०) भारत

2024

शोध सार

1. परिचय एवं उद्देश्य

पत्रकारिता को भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ माना जाता है। इस स्तम्भ का कार्य लोकतंत्र में चुनी गई सरकार पर निगरानी रखना उसके कार्यों और योजनाओं के बारे में जनसामान्य को अवगत कराना और विश्लेषण करके सरकार से उसके कार्यों एवं योजनाओं के विषय में वाजिब सवाल पूछना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबन्धी मूल अधिकार जो सामान्य भारतीय नागरिक को प्राप्त है उसी अनुच्छेद के तहत मीडिया को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गयी है। अन्य संवैधानिक कानूनों जैसे श्रमजीवी पत्रकार कानून, सूचना का अधिकार कानून से मीडिया को अपने कार्यों में आसानी होती है किन्तु प्रश्न पूछने के लिये, लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी के रूप में कार्य करने के लिए पत्रकारिता को पूर्ण स्वतंत्र एवं सक्षम होना आवश्यक है। जिस प्रकार एक मजबूत स्तम्भ ही किसी इमारत को मजबूती से खड़े रहने में सहायक होता है उसी प्रकार यदि पत्रकार आर्थिक , सामाजिक , राजनीतिक रूप से संरक्षित और सशक्त होंगे तभी वो लोकतंत्र के इस स्तम्भ को मजबूत रख सकेंगे। किन्तु हाल के वर्षों में भारतीय पत्रकारों की सामाजिक ,आर्थिक , राजनीतिक दशा सोचनीय स्थिति में होती जा रही है जिससे पत्रकार निष्पक्ष पत्रकारिता के अपने कर्तव्य को निभाने में असफल हो रहे हैं।

भारत दुनिया में सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार है जो प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्राप्त है। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहा जाता है किन्तु आज भारतीय पत्रकारिता का ये स्तम्भ लहुलुहान है।

वर्ष 2022 में भारत, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की सूची में 150 वे पायदान पर था। अब एक साल बाद यह और नीचे आकर 2023 में 161 वे स्थान पर आ गया है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किये गए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में यह जानकारी दी गयी है।

इस इंडेक्स के अनुसार अब भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी निचले स्तर पर आ गयी है। अब पाकिस्तान 150 और अफगानिस्तान 152 वे स्थान पर है।

जबकि भारत के बाद की रैंकिंग वाले देशों में बांग्लादेश (163), तुर्की (165),सऊदी अरब(170)और ईरान (177) स्थान पर है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की सूची में सबसे अंतिम पायदान पर चीन (179) और उत्तर कोरिया (180) स्थान पर हैं।

यह सूचकांक विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ३ मई 2023 को प्रकाशित किये गए। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पांच श्रेणियों के आधार पर जारी किये जाते हैं -

1. राजनीतिक व्यवस्था
2. कानूनी ढांचा
3. आर्थिक स्थिति
4. सामाजिक सांस्कृतिक मानक
5. पत्रकारों की सुरक्षा

इन पांच श्रेणियों में भारत की रैंकिग पत्रकारों की सुरक्षा के मामले में सबसे कम 172 वीं रैंक और सामाजिक मानकों में 143 वीं रैंक सर्वश्रेष्ठ रही है। भारत की रैंक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में लगातार नीचे गिर रही है।

हालांकि स्वयं सरकार द्वारा जारी किये गए आंकड़ों में भी उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की बदहाल स्थिति के विषय में बताया गया है। आज तक न्यूज पोर्टल में जून 2019 में छपी एक खबर के मुताबिक़ लोकसभा में पेश राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से अब तक देश में पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले उत्तर प्रदेश में हुए हैं, 2013 से लेकर अब तक (2019) उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर हमले के 67 केस दर्ज हुए। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश में 50 मामले एवं तीसरे नंबर पर 22 हमलों के साथ बिहार है।

आर्थिक स्थिति की बात करें तो उत्तर प्रदेश एवं सम्पूर्ण भारत में पत्रकारों की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। बड़े मीडिया घरानों को छोड़कर छोटे स्थानीय अखबारों और मीडिया संस्थानों में काम करने वाले पत्रकारों के न्यूनतम वेतन को निश्चित करने के लिए लम्बे समय से किसी वेज बोर्ड का गठन नहीं किया गया है न ही उनकी आर्थिक स्थिति की समीक्षा ही की गयी है। कोरोना महामारी के दौरान बड़ी संख्या में पत्रकारों को छंटनी एवं बहुत काम वेतन या कई बार तो बिना वेतन के भी सेवायें देनी पड़ी।

उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य कई राज्यों की सरकारों ने जान गंवाने वाले पत्रकारों के लिए मुआवजे की घोषणा की किन्तु इस दौरान हुए पत्रकारों की मृत्यु के संबंध में आकंड़ों का पर्याप्त अभाव रहा।

अतः उत्तर प्रदेश में इस विषय में शोध अध्ययन किया जाना आवश्यक है। जिससे पत्रकारों की समस्याओं एवं दबावों को भविष्य में कम किया जा सके। इसके लिए पत्रकारों के संरक्षण के लिए निर्मित कानूनों का भी अध्ययन करने की आवश्यकता है जिससे उनमें आवश्यकता अनुसार संशोधन हो सके।

1.1 शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध के लिए शोधार्थी द्वारा **मिश्रित (गुणात्मक एवं मात्रात्मक शोध)** का प्रयोग किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कार्यरत प्रिंट , इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया के पत्रकारों से एक प्रश्नावली के माध्यम से प्रश्न पूछकर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली गयी है। कुछ वरिष्ठ पत्रकारों एवं विषय विशेषज्ञों का साक्षात्कार लेकर उनके उत्तरों का गुणात्मक विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला गया है। प्रस्तुत शोध में भारतीय इतिहास एवं समकालीन समय में पत्रकारिता की समस्याओं से जुड़े हुए घटनाक्रमों का भी अध्ययन किया गया है एवं पत्रकारिता से जुड़े कानूनों का अध्ययन करके उनमें संभावित बेहतर संशोधनों की पड़ताल की गयी है जिससे निकट भविष्य में पत्रकारिता को और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाया जा सके। इसके लिए आवश्यकता अनुसार वैश्विक कानूनों का भी अध्ययन शोधार्थी द्वारा किया जाएगा।

मिश्रित विधि अनुसंधान -

इस विधि अनुसंधान में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों विधियों का उपयोग किया जाता है। मिश्रित विधि में दो प्रकार के आंकड़े (जैसे शाब्दिक और संख्यात्मक) दो प्रकार के आंकड़ों का विश्लेषण (विषयगत और सांख्यिकी) को एकत्र किया जाता है। आंकड़ों की संग्रह की प्रक्रिया के प्रकार और आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर दो तरह के निष्कर्ष निकाले जाते हैं।

<u>डाटा विश्लेषण -</u>

प्रश्नावली से प्राप्त संख्यात्मक डाटा का विश्लेषण गणितीय विधि द्वारा किया जाएगा। गुणात्मक डाटा का विश्लेषण से प्राप्त विश्लेषणात्मक शैली में किया जाएगा।

शोध अवधि - 4 वर्ष

निदर्श - उद्देश्यात्मक निदर्श

शोध के उद्देश्य के अनुरूप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर में निजी मीडिया संस्थानों में कार्यरत पत्रकारों को निदर्श के रूप में लिया गया है एवं सार्वजनिक उपक्रमों में भी निजी तौर पर कार्य कर रहे पत्रकारों को ही शोध इकाई के रूप में प्रयुक्त किया गया है क्योंकि शोधार्थी का उद्देश्य मुख्य रूप से निजी तौर पर कार्यरत पत्रकारों की समस्याओं चुनौतियों एवं दबावों का अध्ययन है।

इसी प्रकार विषय विशेषज्ञों के साक्षात्कार हेतु विभिन्न मीडिया संस्थानों में कार्यरत अनुभवी वरिष्ठ पत्रकारों के साक्षात्कार लिए गए हैं जिससे उनके समक्ष गत वर्षों में आयी चुनौतियों,समस्याओं,दबावों, संस्थाओं एवं समाज में मीडिया कानूनों के पालन की स्थिति एवं सत्ता परिवर्तन से आये बदलावों के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सके। राज्य सूचना विभाग में कार्यरत अधिकारी के साक्षात्कार के द्वारा सत्ता एवं प्रशासनिक पक्ष को भी सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। विभिन्न मीडिया संस्थाओं में जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अनुभवी प्रोफेसरों एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी हेतु निरंतर कार्यरत समाजसेवियों के साक्षात्कार के माध्यम से शोध विषय पर गहन अध्ययन का प्रयास किया गया है।

शोध जनसंख्या - लखनऊ में निजी मीडिया संस्थानों में कार्यरत पत्रकार

प्रस्तुत शोध में लखनऊ में निजी मीडिया संस्थाओं में कार्यरत पत्रकारों से प्रश्नावली के माध्यम से प्रश्न पूछकर राजधानी लखनऊ में कार्यरत पत्रकारों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का अध्ययन किया गया है। निजी मीडिया संस्थानों में वर्तमान मीडिया कानूनों के पालन की स्थिति का भी विश्लेषण किया गया है।

शोध इकाई (Sample Size) -184 पत्रकार (सर्वे विधि द्वारा)

7 विषय विशेषज्ञ (साक्षात्कार विधि द्वारा)

राज्य मुख्यालय पर प्रेस मान्यता प्राप्त मीडिया प्रतिनिधियों की अद्यतन सूची 2021 में लखनऊ के पत्रकारों की संख्या 312 है। शोधार्थी ने 184 निजी मीडिया संस्थानों से सम्बद्ध पत्रकारों से शोध प्रश्नावली भरवाकर सर्वे विधि से शोध किया गया है। 7 विषय विशेषज्ञों का साक्षात्कार लिया गया है जिनमें विधिक जानकारी हेतु बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के विधि विभाग में प्रोफेसर प्रीति सक्सेना, विभिन्न प्रिंट,

इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया के निजी संस्थानों में कार्यरत अनुभवी वरिष्ठ पत्रकारों, मीडिया शिक्षण से संबद्ध प्रोफेसर जिनमें लखनऊ विश्विद्यालय में जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग में प्रोफेसर एवं हेड मुकुल श्रीवास्तव, रांची केंद्रीय विश्विद्यालय के जनसंचार विभाग के सेवानिवृत प्रोफेसर संतोष कुमार तिवारी, लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व उपकुलपति एवं समाजसेविका रूपरेखा वर्मा, उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग में कार्यरत सहायक निदेशक के साक्षात्कारों को सम्मिलित किया गया है।

डाटा प्रस्तुतीकरण -

आंकड़ों के रूप में प्राप्त डाटा पाई चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है और गुणात्मक विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष को विवरणात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। साक्षात्कार को विवरणात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है।

1.2 शोध प्रश्न -

वैधानिक स्वतंत्रता -

1. क्या संविधान या अन्य बुनियादी कानूनों में प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बनाए गए प्रावधान हैं, और क्या वे लागू हैं?

2. क्या दंड संहिता, सुरक्षा कानून, या कोई अन्य कानून रिपोर्टिंग को प्रतिबंधित करते हैं और क्या पत्रकार इन कानूनों के तहत दंडित होते हैं?

3. क्या पत्रकारों के संरक्षण हेतु अधिकारियों या राज्य के लोगों के लिए दंड हैं और क्या उन्हें लागू किया जाता है?

4. क्या अदालतें निष्पक्ष रूप से मीडिया से संबंधित मामलों का न्याय कर पा रही हैं?

5. क्या सूचना का अधिकार कानून की स्वतंत्रता लागू है और क्या पत्रकार इसका उपयोग करने में सक्षम हैं?

6. क्या व्यक्ति या व्यावसायिक संस्थाएं बिना किसी हस्तक्षेप के कानूनी तौर पर निजी मीडिया आउटलेट की स्थापना और संचालन कर सकती हैं?

7. क्या मीडिया नियामक निकाय, जैसे प्रसारण प्राधिकरण या राष्ट्रीय प्रेस या संचार परिषद स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम हैं?

8. क्या पत्रकार बनने और पत्रकारिता करने की स्वतंत्रता है, और क्या पेशेवर समूह स्वतंत्र रूप से पत्रकारों के अधिकारों और हितों का समर्थन कर सकते हैं?

राजनीतिक स्वतंत्रता -

1. मीडिया द्वारा समाचार और सूचना सामग्री किस सीमा तक सरकार या किसी विशेष पक्षीय हित द्वारा निर्धारित की जाती है?

2. क्या आधिकारिक या अनौपचारिक स्रोतों तक पहुंच आमतौर पर नियंत्रित की जाती है?

3. क्या आधिकारिक या अनौपचारिक सेंसरशिप है?

4. क्या पत्रकार स्व-सेंसरशिप का अभ्यास करते हैं?

5. क्या लोगों के पास मीडिया कवरेज और समाचारों और सूचनाओं की पर्याप्त उपलब्धता है जो संतुलित और निष्पक्ष है और विभिन्न विचारधाराओं को दर्शाती है?

6. क्या स्थानीय और विदेशी दोनों पत्रकार ऑफ़ डी ग्राउंड और ऑन-द-ग्राउंड रिपोर्टिंग के मामले में स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से समाचार को कवर करने में सक्षम हैं?

7.क्या पत्रकार या मीडिया आउटलेट राज्य के अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उनकी रिपोर्टिंग के परिणामस्वरूप अत्यधिक डराने या शारीरिक हिंसा के अधीन हैं?

आर्थिक स्वतंत्रता -

1. मीडिया सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किस हद तक हैं, और क्या यह उनके विचारों की विविधता को प्रभावित करता है?

2. क्या मीडिया स्वामित्व पारदर्शी है, क्या उपभोक्ताओं को स्वामित्व की स्पष्ट जानकारी होती है ?

3. क्या मीडिया स्वामित्व अत्यधिक केंद्रित है और क्या यह सामग्री की विविधता को प्रभावित करता है?

4. क्या समाचार उत्पादन और वितरण के साधनों पर प्रतिबंध है?

5. क्या मीडिया आउटलेट्स की स्थापना और संचालन से जुड़ी उच्च लागतें हैं? राज्य इसमें किस प्रकार की सहायता करता है ?

6. क्या राज्य या अन्य प्रभावशाली व्यक्ति, कॉर्पोरेट्स आदि विज्ञापन या सब्सिडी के आवंटन के माध्यम से मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं?

7. क्या पत्रकारों या मीडिया आउटलेट्स को निजी या सार्वजनिक स्रोतों से भुगतान प्राप्त होता है जिनका उद्देश्य उनकी पत्रकारिता सामग्री को प्रभावित करना है?

8. क्या समग्र आर्थिक स्थिति मीडिया आउटलेट्स की वित्तीय स्थिरता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है?

9. पत्रकारों की मिलने वाले आय एवं भत्ते आदि संतोषजनक हैं अथवा नहीं? इस संबंध में पूर्व में गठित समितियों एवं कानूनों का कितना पालन हो रहा है ?

शोध प्रश्नों के उत्तर -

वैधानिक स्वतंत्रता -

1. क्या संविधान या अन्य बुनियादी कानूनों में प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बनाए गए प्रावधान हैं, और क्या वे लागू हैं?

उत्तर - प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा विभिन्न प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का अध्ययन किया गया जिसके अनुसार इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर प्राप्त हुआ है। अतः संविधान में प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बनाए गए प्रावधान हैं और वर्तमान में इन कानूनों का पालन भी हो रहा है। डिजिटल और मीडिया कन्वर्जन के दौर में आज कई ऐसे नए प्रावधान भी लागू किये जा रहे हैं जिससे प्रत्येक मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके।

विषय विशेषज्ञों से लिए गए साक्षत्कारों में मुख्यतः सभी विषय विशेषज्ञों ने बताया कि संविधान में वर्णित अनुच्छेद 19 (2) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुल 8 युक्ति युक्ति निर्बंधन लगाये गए हैं जिसकी जानकारी पत्रकारों को होनी चाहिए और उन्हें पत्रकारिता करते समय इन निर्बंधों को ध्यान में रखना चाहिए।

अतः भारत के संविधान में प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बनाए गए प्रावधान हैं और वर्तमान ये प्रावधान लागू भी हैं। इसके साथ ही डिजिटल कन्वर्जन के दौर में आज बदलते मीडिया के स्वरूप के लिए कई सारे नए प्रावधानों को लागू किया जा रहा है जिससे मीडिया को अधिक सशक्त एवं स्वतंत्र बनाया जा सके और फेक न्यूज और पेड न्यूज आदि को दूर किया जा सके।

2. क्या दंड संहिता, सुरक्षा कानून, या कोई अन्य कानून रिपोर्टिंग को प्रतिबंधित करते हैं और क्या पत्रकार इन कानूनों के तहत दंडित होते हैं?

उत्तर - पूर्ण सहमत 12.7% और सहमत 40.9% अर्थात 53.6% का मानना है कि मीडिया कानून के द्वारा पत्रकारों को दंड दिया जाता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पत्रकारों पर संविधान द्वारा ही कई युक्ति युक्ति निर्बंधन लगाए गए हैं जो कि सभी भारतीय नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं जिनमें भारत की अखंडता और सम्प्रभुत्ता को नुकसान पहुंचाने वाली खबरें प्रकाशित करना निषेध है। भारत के मित्र देशों के खिलाफ किसी भी प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी करने, अपराध को बढ़ावा देने वाली खबर अथवा टिप्पणी करने पर दंड का प्रावधान है। न्यायालय का अवमान, मानहानि एवं कॉपीराइट उललंघन के मामलों में भी पत्रकारों को दंड दिए जा सकते हैं।

3. क्या पत्रकारों के संरक्षण हेतु अधिकारियों या राज्य के लोगों के लिए दंड हैं और क्या उन्हें लागू किया जाता है?

उत्तर - शोधार्थी द्वारा पत्रकारों से किये गए सर्वे में इस प्रश्न के उत्तर में 41% उत्तरदाता सहमत हैं कि पत्रकारों के संरक्षण हेतु अधिकारियों या अन्य के लिए दंड हैं और उन्हें लागू किया जाता है। जबकि 24.2 % उत्तरदाता इस कथन से असहमत हैं और 34.8 % उत्तरदाता ने इस विषय में कुछ कह नहीं सकते विकल्प का चयन किया है।

पत्रकारों के संरक्षण के लिए एक इसी प्रकार का कानून छत्तीसगढ़ में लागू किया गया जिसमें यदि किसी लोकसेवक को किसी पत्रकार की सुरक्षा के मामले में अभियुक्त बनाया गया हो तो लोक सेवक को “सुनवाई के उचित अवसर के बाद उक्त नियमों के तहत उपयुक्त दंड दिया जा सकता है.” बिल के अनुसार निजी व्यक्तियों को 25,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है।

इस कानून में समाचार संकलन कर्ता की परिभाषा है - स्ट्रिंगर या एजेंट समेत हर वह व्यक्ति जो नियमित रूप से समाचार या सूचनाएं एकत्र करता है या उसे मीडियाकर्मी या मीडिया संस्थानों को भेजता है। वही मीडिया कर्मी

जिसे सुरक्षा की आवश्यकता है की परिभाषा केवल जोखिम या हिंसा का सामना करने वाले पंजीकृत मीडिया कर्मी तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें तकनीकी सहायक कर्मचारी, ड्राइवर, दुभाषिया और बाहरी वैन ऑपरेटर भी शामिल हैं।

इस कानून के अनुसार सरकार के पास मीडियाकर्मियों का एक रजिस्टर होगा. इसमें आवश्यक पात्रता की सूची भी दी गई है - छह बाइलाइन, तीन पेमेंट आदि. पंजीकरण दो साल के लिए वैध होगा और इसका स्वत: नवीनीकरण नहीं होगा।

महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पत्रकार और पत्रकारिता संस्थान (हिंसा और संपत्ति को नुकसान या क्षति की रोकथाम) अधिनियम, 2017 पारित करने में प्रदेश सरकार को वर्षों लग गए. यह कानून राज्य में पत्रकारों के खिलाफ हिंसा के मामलों को गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध बनाता है. इस कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति 2019 में आकर मिली लेकिन अभी इस कानून का पालन ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है ऐसा कई मीडियाकर्मियों का मानना है अतः इस कानून को सख्ती से लागू किये जाने की आवश्यकता है।

शोधार्थी द्वारा किये गए साक्षत्कार में इस प्रश्न के उत्तर में विधि विभाग की प्रोफेसर प्रीति सक्सेना ने कहा कि पत्रकारों की डिफेन्स के लिए प्रेस काउन्सिल की तरफ से कुछ नियम बने हुए हैं वो अपनी बातों को रख सकते हैं। पत्रकार भी नागरिक हैं जो अधिकार बाकी नागरिकों को हैं वे सभी अधिकार उन्हें भी मिले हुए हैं।

4. क्या अदालतें निष्पक्ष रूप से मीडिया से संबंधित मामलों का न्याय कर पा रही हैं?

शोधार्थी द्वारा किये गए सर्वे के परिणाम में पूर्ण सहमत और सहमत को मिलाकर कुल 46.7% उत्तरदाताओं ने इस कथन से सहमति व्यक्त की है जबकि 28.9% उत्तरदाताओ ने इस कथन से असहमति व्यक्त की है। अतः यह स्पष्ट है कि अदालतें आज भी निष्पक्ष न्याय कर रही हैं इस कथन पर विश्वास रखने वाले पत्रकारों की संख्या अधिक है।

शोधार्थी द्वारा लिए गए साक्षात्कार में इस प्रश्न के उत्तर में विधि विशेषज्ञ प्रोफेसर प्रीति सक्सेना जी ने कहा कि अदालतों को निष्पक्ष न्याय करना चाहिए लेकिन न्यायाधीश भी इंसान हैं और रोज वो भी खबरों से वाकिफ होते हैं मीडिया ट्रायल का प्रभाव उन पर भी पड़ सकता है। लॉ कमीशन की 200वीं रिपोर्ट थी जिसमें मीडिया ट्रायल के बारे में कई रिकमेंडेशन दिए गए हैं।कुछ इंटरनेशनल अधिवेशन हुए हैं और कुछ स्केण्डनेवियन देशों ने भी इस पर लॉ बनाये हुए हैं। लेकिन अदालतों में जजमेंट हमेशा लॉ प्वाइंट्स पर ही होते हैं उस पर किसी के रसूख का प्रभाव नहीं पड़ता है।

अतः आज भी न्यायपालिका पर पत्रकारों एवं आम नागरिकों का भरोसा कायम है। मीडिया ट्रायल का कई बार न्याय प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिसे रोकने की आवश्यक्ता है।

5. क्या सूचना का अधिकार कानून की स्वतंत्रता लागू है और क्या पत्रकार इसका उपयोग करने में सक्षम हैं?

शोधार्थी द्वारा किये गए सर्वे में अधिकांशतः उत्तरदाताओं ने इस कथन से सहमति व्यक्त की है कि सूचना का अधिकार कानून की स्वतंत्रता लागू है और पत्रकार इसका उपयोग करने में सक्षम हैं, जिसमें से 14.8% पूर्ण सहमत और 50% उत्तरदाता सहमत हैं अर्थात कुछ 64.8% उत्तरदाता ने सहमति दी है कि सूचना के अधिकार अधिनियम उपयोगी है और पत्रकार इसका प्रयोग करने में सक्षम हैं।

शोधार्थी द्वारा लिए गए साक्षात्कार में एक वरिष्ठ पत्रकार के अनुसार सूचना का अधिकार कानून उपयोगी है, पत्रकारों के लिए कई बार ऐसा डेटा मिल जाता है जो आसानी से नहीं मिल पाता था। नए संशोधन लागू होने के बाद वहां पर तारीख पर तारीख मिलने लगी हैं। जो धार बननी चाहिए थी वो नहीं बन पा रही है। जिस प्रकार से पूर्व में इसे लागू करने की संकल्पना की गयी थी वो आज नहीं हो पा रहा है।

अतः सूचना का अधिकार पत्रकारों के लिए उपयोगी कानून है और समय के साथ सूचनाओं को उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल मीडिया तकनीकी का प्रयोग करके कार्यालयों को सूचनाओं को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए एवं अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास करना चाहिए।

6. क्या व्यक्ति या व्यावसायिक संस्थाएं बिना किसी हस्तक्षेप के कानूनी तौर पर निजी मीडिया आउटलेट की स्थापना और संचालन कर सकती हैं?

सर्वे से प्राप्त डाटा में सर्वाधिक उत्तरदाता (61. 7 %) इस कथन से सहमत हैं कि व्यक्ति या व्यावसायिक संस्थाएं बिना किसी हस्तक्षेप के कानूनी तौर पर निजी मीडिया संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकती हैं।

7. क्या मीडिया नियामक निकाय, जैसे प्रसारण प्राधिकरण या राष्ट्रीय प्रेस या संचार परिषद स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम हैं?

सर्वे से प्राप्त डाटा में सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने सहमत (43.8%) ने इस कथन से सहमति व्यक्त की है जबकि 26.8% असहमति व्यक्त की है। 26.2% इस विषय में कुछ कह नहीं सकते।

शोधार्थी द्वारा किये गए साक्षात्कार में प्रोफेसर प्रीती सक्सेना ने इस विषय में कहा कि प्रेस परिषद का चेयरमैन हमेशा न्यायाधीश होते हैं और बाकी सदस्य वरिष्ठ पत्रकार ही होते हैं। वो अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए पत्रकारों के हितों के लिए कार्य कर सकते हैं। परिषद को दंडात्मक कार्यवाही की शक्ति नहीं है और न ही होनी चाहिए। क्योंकि वो कोई लीगल व्यक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का 1997 का जजमेंट है परिषद और ट्रिब्यूनल जो भी इस तरह का निर्णयात्मक कार्य करते हैं वहां एक ज्यूडिशियल पर्सन का होना जरूरी है, क्योंकि सभी पत्रकार और परिषद के सदस्य ज्यूडिशियल मेम्बर नहीं होते हैं इसलिए दंड देने की शक्ति नहीं होनी चाहिए ।

एक वरिष्ठ पत्रकार ने इस विषय में कहा कि प्रेस परिषद को दंड देने का अधिकार नहीं है और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि इस तरह का कोई प्रावधान होता है तो उससे मीडिया की धार और कम हो जायेगी लेकिन एडवाइजरी को स्ट्रांगली पालन करने की और ध्यान देना चाहिए और ये मीडिया सेल्फ रेगुलेशन से कर सकती है।

8. क्या पत्रकार बनने और पत्रकारिता करने की स्वतंत्रता है, और क्या पेशेवर समूह स्वतंत्र रूप से पत्रकारों के अधिकारों और हितों का समर्थन कर सकते हैं?

सर्वे से प्राप्त डाटा में सर्वाधिक पत्रकार (48.6%) इस कथन से सहमत हैं कि निजी मीडिया संस्थान पत्रकारों के अधिकारों और हितों का समर्थन कर सकते हैं। 24% कुछ कह नहीं सकते और 23.5% ने असहमति व्यक्त की है।

शोधार्थी द्वारा किये गए साक्षात्कार में प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव के अनुसार स्वतंत्रता तो है जैसे पिछले दिनों चर्चा रही है कि फलां पत्रकार चैनल से निकाल दिए गए हैं वो अलग यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो स्वतंत्रता तो है। स्वतंत्र पत्रकारिता की बात करें तो पहले स्वतंत्र पत्रकारों की भी एक क्रेडिबिलिटी होती थी लेकिन अब तो आप ग्रेजुएशन में आ गए और अपना एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं आपको स्वयं अपने बारे में पता नहीं होता आप देश दुनिया की बहुत सारी खबरें दे रहे हैं। हिट्स और क्लिक भी चाहिए होते हैं और इसी वजह से सूचनाओं का बहुत घालमेल होता है।

राजनीतिक स्वतंत्रता -

1. मीडिया द्वारा समाचार और सूचना सामग्री किस सीमा तक सरकार या किसी विशेष पक्षीय हित द्वारा निर्धारित की जाती है?

सर्वे से प्राप्त डाटा में सर्वाधिक उत्तरदाताओं (50.9%) ने इस कथन से सहमति व्यक्त की है कि मीडिया द्वारा प्रसारित समाचार और सूचना सामग्री सरकार या किसी अन्य संस्थान द्वारा निर्धारित की जाती है।जबकि 20.9% उत्तरदाताओं ने इस कथन से असहमति व्यक्त की है।

विषय विशेषज्ञों से लिए गए साक्षात्कार में प्रोफेसर प्रीति सक्सेना मैम ने इस विषय में कहा कि कई बार अखबारों को पढ़कर चैनल को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये किस राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करते हैं। कोई लेफ्ट कोई राइट आइडियोलॉजी का है कोई सरकार के पक्ष में और कोई विरोध में बात करता है। ऑनलाइन मीडिया एवं टेलीविजन में ऐसा देखने को मिलता है।

प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव ने इस विषय में कहा है कि भारत में मीडिया का जो रेवेन्यू मॉडल है वो विज्ञापन आधारित है और सरकार इस देश के टीवी रेडियो अखबार सबके लिए सबसे बड़ी विज्ञापनदाता है अब अगर आप उससे विज्ञापन की आस लगाए बैठे हैं और दूसरी तरफ आप यह चाह रहे हैं कि सरकार अपनी आलोचना के प्रति संवेदनशील भी ना हो। अगर कोई प्राइवेट एडवरटाइजर्स आपको करोड़ों रुपए का व्यवसाय दे रहा है तो वह अगर कुछ चीजों को करवाना चाह रहा है तो लोग खुशी खुशी कर देते हैं। इसलिए यह हो सकता है कि रेवेन्यू का कोई अल्टरनेट सिस्टम लाया जाए जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनमें यूट्यूब के लोग भी डोनेट करते हैं। प्रिंट,द वायर जैसे भी हैं जो लोग से पैसे मांगते हैं उन्हें विज्ञापन की जरूरत ही नहीं है। इस देश के नियम कानूनों के तहत जो उन्हें समझ आ रहा है कर रहे हैं तो ये कहना कि नहीं हमें आलोचना करने के लिए पैसे दीजिये तो ये वक्त अब जा रहा है पहले ये चलता था। क्योंकि सरकार के ब्रांड पर असर पड़ रहा है। अगर आपके पास इतनी कूवत है जिसका आप दावा करते हैं तो आप बस विज्ञापन की उम्मीद नहीं रखिए क्योंकि सरकार के पास यही एक बड़ा अस्त्र है।

अतः यह कहा जा सकता है कि मीडिया का राजस्व मॉडल यदि पूर्णतः विज्ञापन आधारित न हो तो इस प्रकार के दबावों को कम किया जा सकता है। मात्र प्रेस रिलीज

और पीआर कंपनियों द्वारा प्रसारित सूचनाओं पर आश्रित न होकर पत्रकारों को खोजी पत्रकारिता की भाँति खबर की पड़ताल करनी चाहिए। पत्रकारों को स्वविवेक एवं सेल्फ सेंसरशिप का पालन करना चाहिये।

2. क्या आधिकारिक या अनौपचारिक स्रोतों तक पहुंच आमतौर पर नियंत्रित की जाती है?

शोधार्थी द्वारा लिए गए साक्षात्कार में प्रोफेसर प्रीति सक्सेना ने इस विषय पर विधि पक्ष रखते हुए कहा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत एक शिड्यूल में रक्षा एवं अन्य क्षेत्र हैं जिनकी जानकारी नहीं दी जा सकती। राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ऊपर है लेकिन मानवाधिकार या पर्सनल लाइफ एवं लिबर्टी से संबंधित है तो वह जानकारी तय प्रक्रिया के जरिये उपलब्ध कराई जा सकती है।

इस विषय में सूचना अधिकारी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता है। संविधान के अनुच्छेद 19 (A) में स्वतंत्रता दी गयी है लेकिन कुछ संवेदनशील मुद्दों पर कुछ दूरी तय की जाती है या नियम होते हैं उनका पालन किया जाना चाहिए।

अतः पत्रकार अगर चाहे तो वो खोजी पत्रकारिता के जरिये सच की पड़ताल करके सामने ला सकता है जिसके लिए तमाम तरीके एवं साधन उपलब्ध हैं लेकिन यह भी सच है कि कहीं न कहीं स्त्रोतों को नियंत्रित किया जाता है।

3. क्या आधिकारिक या अनौपचारिक सेंसरशिप है?

सर्वे से प्राप्त डाटा में सर्वाधिक उत्तरदाता (72%) ने स्वीकार किया है कि पत्रकारों को आधिकारिक या अनौपचारिक सेंसरशिप का सामना करना पड़ता है। जबकि मात्र 13.2 % ने इस कथन से असहमति व्यक्त की है।

शोधार्थी द्वारा लिए गए साक्षात्कार में एक वरिष्ठ पत्रकार ने इस विषय में कहा कि अनऑफिशियल सेंसरशिप तो हमेशा से रही है। इमरजेंसी का जो दौर था 1976 से लेकर 1977 तक ऑफिशियल सेंसरशिप रही कि आप अपने अखबार को पहले भेजिए हम देखेंगे तब अखबार छपता था जिसका कई पत्रकारों ने प्रतिरोध किया और अखबार का पन्ना खाली छोड़ दिया। अब इस वक्त आधिकारिक सेंसरशिप तो नहीं है लेकिन अनऔपचारिक सेंसरशिप पहले से कुछ ज्यादा हुई है।

प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव ने इस विषय में कहा कि मुझे नहीं लगता क्योंकि मैं शिक्षण के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ और जब एक स्वतंत्र पत्रकार और कॉलमनिस्ट की हैसियत से

जो मैं लिखना चाहता हूँ वो लिख लेता हूँ और जो बोलना चाहता हूँ वो बोल लेता हूँ तो मुझे नहीं लगता सेंसरशिप है।

4. क्या पत्रकार स्व-सेंसरशिप का अभ्यास करते हैं?

सर्वे से प्राप्त डाटा में सर्वाधिक उत्तरदाता (53.3%) ने स्वीकार किया है कि पत्रकार स्व-सेंसरशिप का अभ्यास करते हैं।

शोधार्थी द्वारा लिए गए साक्षत्कार में प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव ने इस विषय पर कहा कि इसके लिए यह देखना जरूरी है कि पत्रकारों को यह पता भी है सेल्फ सेंसरशिप क्या है? बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन आलोचना में बिता दिया लेकिन अगर आप उनके खुद के व्यक्तित्व और कृतित्व पर नजर डालें तो स्वयं उनमें भी वह गुण दिखते हैं जिनकी वह आलोचना करते रहे हैं। इस दोहरेपन से अच्छा है कि आप सेल्फ सेंसरशिप के बजाय उन नियमों या मानकों का ही पालन कर ले जो पत्रकारों के लिए बने हैं। रात को चैनलों पर जो डिबेट आती हैं उससे हमारे समाजिक आर्थिक जीवन में क्या बदलाव आ रहा है क्योंकि जो समस्याएं थीं मंहगाई बेरोजगारी आज भी वैसी ही हैं तो इतने दशकों में बदला क्या ? इस विषय में सोचने की आवश्यकता है।

एक सीनियर रिपोर्टर का इस विषय में कहना है कि आज के सोशल मीडिया के दौर में कुछ लोग बहुत एथिक्स को फॉलो करते हैं कि अगर किसी लड़की का बलात्कार हुआ है तो हमें पता है उसके परिवार की शक्ल नहीं दिखानी है, उसके बच्चे की शक्ल नहीं दिखानी है, उसके भाई की शक्ल नहीं दिखानी है लेकिन एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग के चक्कर में, फॉलोवर्स के चक्कर में कुछ लोग हैं जो इस सीमा को लांघ जाते हैं।

5. क्या लोगों के पास मीडिया कवरेज और समाचारों और सूचनाओं की पर्याप्त उपलब्धता है जो संतुलित और निष्पक्ष है और विभिन्न विचारधाराओं को दर्शाती है?

सर्वे से प्राप्त डाटा में कुल 41.5% (32.8% असहमत, 8.7 % पूर्णतः असहमत) उत्तरदाताओं ने इस कथन से असहमति व्यक्त की है कि मीडिया द्वारा प्रसारित सामग्री संतुलित, निष्पक्ष और विभिन्न विचारधाराओं को दर्शाती है।

प्रोफेसर प्रीति सक्सेना के अनुसार चुनाव के समय सबको थोड़ा थोड़ा स्लॉट दिया जाता है लेकिन बाकी समय सरकार से संबंधित खबरें ही ज्यादातर दिखाई देती हैं। हमेशा सत्ताधारी दलों का वर्चस्व मीडिया की खबरों में देखा गया है। जैसे कि हाल ही में विपक्ष

के द्वारा की गयी भारत जोड़ों यात्रा का कवरेज मेनस्ट्रीम मीडिया में बहुत काम देखा गया जबकि सोशल मीडिया में इसका कवरेज ठीक ठाक हुआ।

सूचना विभाग में कर्यरत अधिकारी ने इस विषय में कहा कि मीडिया सभी के विचारों को एक मंच पर प्रदान करता है। ऐसा नहीं है की सिर्फ एक विचारधारा की ही मीडिया है।

प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव के अनुसार ऐसा नहीं है क्योंकि अगर अखबारों की बात करें तो जैसे नवभारत टाइम्स है उसमें संडे का जो एडिटोरियल व्यू आता है उसमें व्यू और काउंटर व्यू दोनों होता है। आप सोशल मीडिया पर एक्टिव है और आप अखबार पढ़ रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कहेंगे लेकिन अगर आप केवल किसी ओपीनियन लीडर की बात सुन रहे हैं जैसे कि मल्टी स्टेप फ्लो थ्योरी कहती है तो बात अलग है। लेफ्ट विंग का कुछ लिखना चाहे तो टेलीग्राफ, इंडियन एक्सप्रेस, वायर, द कविन्ट है तो ऐसे बहुत से चैनल हैं जिन्होंने एकदम मोर्चा ले रखा है तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता।

6. क्या स्थानीय और विदेशी दोनों पत्रकार ऑफ़ डी ग्राउंड और ऑन-द-ग्राउंड रिपोर्टिंग के मामले में स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से समाचार को कवर करने में सक्षम हैं?

सर्वे से प्राप्त डाटा में सर्वाधिक (46.2%) उत्तरदाताओं ने इस कथन से असहमति व्यक्त की है कि स्थानीय और विदेशी दोनों पत्रकार ऑफ़ डी ग्राउंड और ऑन-द-ग्राउंड रिपोर्टिंग के मामले में स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से समाचार को कवर करने में सक्षम हैं। 37.9% उत्तरदाताओं ने इस कथन से सहमति व्यक्त की है। जबकि 15. 9% ने कुछ कह नहीं सकते विकल्प का चयन किया है।

प्रोफेसर प्रीति सक्सेना मैम के अनुसार जहां तक युद्ध क्षेत्र की बात है उसके लिए जेनेवा कन्वेशन के द्वारा वार जर्नलिस्ट को सुरक्षा दी जाती है। जिसमें फैमिली इंश्योरेंस, पेंशन आदि का प्रावधान है। इसके पालन कराने के लिए जर्नलिस्ट एवं जनसामान्य को इसकी जानकारी होना जरूरी है। प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव ने इस विषय में कहा कि सुरक्षित तो कोई भी नहीं है अगर देखा जाए क्योंकि पत्रकारों को वही अधिकार मिले हैं जो आम नागरिकों को मिले हैं उन्हें कोई अलग से प्रिविलेज तो मिली नहीं है। अगर आम इंसान सुरक्षित होगा तो पत्रकार भी सुरक्षित होगा। इंटरनेट के दौर ने वैसे भी ग्राउंड रिपोर्टिंग कम की है सब व्हाट्सएप और इलेक्ट्रॉनिकली ही हो रहा है।

एक सीनियर रिपोर्टर ने इस विषय में कहा कि रॉयटर्स का पत्रकार था दानिश सिद्दीकी कोविड के समय में जिसकी खींची गयी तस्वीरें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई थीं बाद में उसकी अफगानिस्तान में तालिबानियों के द्वारा युद्ध क्षेत्र में जान चली गयी थी। सिक्योरिटी की बात करेंगे तो अभी इजरायल हमास युद्ध में कितने ही पत्रकारों की जान जा रही है। उत्तर प्रदेश में मैंने काम किया है तो पहले जब भी प्रोटेस्ट होता था तो किसी भी अगर पत्रकार का कैमरा टूट जाता था या चोट आ जाती थी तो वो कम्पनसेशन देते थे लेकिन आज की तारीख में जैसे सीएए एनआरसी वाला दंगा हुआ उसमें मेरी गाड़ी जली और कैमरा टूट गया लेकिन कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया तो हम कैसे कह सकते हैं कि आज पत्रकार सुरक्षित हैं। जबकि एक पत्रकार जो होता है वह एक आर्मी मैन की तरह अपनी भूमिका निभाता है, जो समाज के सारे मुद्दों को इकट्ठा करता है और जनता के सामने ले जाता है तो पत्रकारों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

7.क्या पत्रकार या मीडिया आउटलेट राज्य के अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उनकी रिपोर्टिंग के परिणामस्वरूप अत्यधिक डराने या शारीरिक हिंसा के अधीन हैं?

सर्वे से प्राप्त डाटा में सर्वाधिक (74.7%, 53.3% सहमत, 21.4% पूर्णतः सहमत) उत्तरदाताओं ने इस कथन से सहमति व्यक्त की है कि पत्रकारों या मीडिया संस्थानों को राज्य के अधिकारियों या किसी अन्य प्रभावशील व्यक्ति (सेलिब्रिटी) द्वारा उनकी रिपोर्टिंग के वजह से डर या हिंसा का सामना करना पड़ता है।

शोधार्थी द्वारा लिए गए साक्षात्कार में इस विषय में प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव ने कहा कि मैं यह कहना चाहूंगा जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मुझसे एक्सपेक्टेशन है कि मैं विनम्रता से बात करूंगा और बच्चों की समस्याएं सुनूंगा अब क्लास में कितने बच्चे होंगे एक आइडियल स्टैंडर्ड हम मानते हैं कि यूजीसी का 30 और एनआईआरएफ 15 का मानता है प्रति टीचर स्टूडेंट्स होने चाहिए पर अगर 100 बच्चे हो और सब की समस्याएं हों और उन सब की समस्याओं का समाधान सीधे-सीधे मेरे हाथ में ना हो तो जाहिर सी बात है कि मैं आपा खो सकता हूं। पोलिसिंग का जैसे मामला है जो हमारा पुलिस मैन्युअल है वो अंग्रेजों के जमाने का है उसमें रिफॉर्म करें, दबाव इतना ज्यादा है कि आज भी हमारे पुलिस वाले लाठी लेकर चलती है कि वैसे ही कोई भी सहम जाये। लेकिन अगर कोई पुलिस वाला कहे कि अभी रुक जाओ कि अभी रुक

जाओ 2 मिनट, २ लोग रुक जाएंगे चार लोग फिर भी जुगाड़ बनायेंगे कि वो इधर देखे और वो गाड़ी निकाल ले जायें तो वो आपा खोयेगा, अब जो निकाल ले गए वो जायेंगे मार और बातें उन्हें सुननी पड़ती है जो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो बस ये समस्या है। ये जो सवाल हैं ये जो जनसंख्या का दबाव है, तकनीकी का इस्तेमाल नहीं करना और जो गवर्नेन्स का मॉडल है वो पुराना है। नयी तकनीकी के हिसाब सबको अपडेट होना चाहिए इन सबके कारण से ऐसा हो रहा है। जैसे मैं शिक्षक हूँ और दस पत्रकार आ जाएँ मेरी क्लास का टाइम हो रहा है कि इस मुद्दे पर आपको क्या कहना है ? आजकल जैसा कि आप देखते हैं कि हर मुद्दे पर राय ली जाती है। हमारा नहीं मन है। अब आपके पास ताकत है आप चीख सकते हैं बता सकते हैं लेकिन हमारा पक्ष सुनने वाला कोई नहीं होगा, तो इससे ये समस्या होती है और उत्तर प्रदेश में ये समस्या ज्यादा हो रही है। इसे सीधे सीधे ऐसे जोड़ देना कि नहीं ऐसा हो रहा है ये सही नहीं होगा हालांकि इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता कि ऐसा होता है। इसकी रेमिडीज, गाइडलाइंस और इस पर एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया जाना जरूरी है।

आर्थिक स्वतंत्रता -

1. मीडिया सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किस हद तक हैं, और क्या यह उनके विचारों की विविधता को प्रभावित करता है?

सर्वे से प्राप्त डाटा के अनुसार सर्वाधिक (65.8%) उत्तरदाताओं का मानना है कि मीडिया स्वामित्व का मीडिया सामग्री पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव के अनुसार रूल सरकार बनाती है आप सरकार के दबाव में कितना आते हैं जाहिर सी बात है कि अगर किसी मीडिया संस्थान के काफी व्यवसाय होंगे तो उसकी गर्दन दबी रहेगी यह तो नहीं हो पाएगा कि आप एक ही मुद्दे को चमकाने के लिए सरकार को क्रिटिसाइज करें और दूसरी बार अपने व्यवसाय को चमकाने के लिए और मुद्दों का सहारा ले तो यह सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब आप मीडिया का व्यवसाय करें और किसी व्यवसाय से आपके हित न जुड़े हों। भारत में ऐसे बहुत कम संस्थान है जिनका शुद्ध रूप से मीडिया में ही दखल है बाकी उनकी मिले नहीं है और कोई बिजनेस नहीं है उसमें फिर तो दखल आ ही जाएगा।

रांची सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर संतोष कुमार तिवारी सर ने इस विषय में कहा कि सरकारों के पास अर्थ तंत्र को नियंत्रित करने का एक जरिया बन गया है और वह

विज्ञापन। सरकार हमेशा सबसे बड़ी विज्ञापन दाता रही है उसके पैरामीटर रहे हैं कि कोई विज्ञापन निकलता था तो सर्कुलेशन के हिसाब से एक डीएवीपी नाम की संस्था थी जो आपका रेट तय किये रहती थी तो बिना किसी विशेष चयन के वो विज्ञापन सबको बंट जाता था। अभी ऐसा हो गया है कि इसमें बड़ी असामनता आ गयी है किसी चैनल को पचास लाख का विज्ञापन मिलेगा और किसी दूसरे चैनल को पांच लाख का , ये इस पर निर्भर करता है कि मॉनीटरिंग सेल आपको क्या फीडबैक दे रहा है। मॉनीटरिंग सेल में इस बात की भी जद्दोजहद हो रही है कि दस ही स्क्रीन लगी है उसमें से सबसे ज्यादा किसका चैनल चल रहा है? पहले तो आपको मॉनीटरिंग में आना होता है उसके बाद आप को दिखाना है कि आप प्लीज (प्रसन्न) कितना कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो विज्ञापनों का राजस्व है उसे कुछ हद तक अपने कंट्रोल में कर लिया गया है चीजों को अपने फेवर में करने के लिए और ये एक बहुत बड़ा नियंत्रण होगा क्योंकि कई बार कई चैनलों का साठ प्रतिशत तक राजस्व इन्हीं विज्ञापनों से आता है।

2. क्या मीडिया स्वामित्व पारदर्शी है, क्या उपभोक्ताओं को स्वामित्व की स्पष्ट जानकारी होती है?

सर्वे से प्राप्त डाटा के अनुसार 42.2% उत्तरदाताओं ने इस कथन से असहमति व्यक्त की है कि उपभोक्ताओं को मीडिया स्वामित्व की स्पष्ट जानकारी होती है। जबकि 32. 6 % ने इस कथन से सहमति व्यक्त की है कि उपभोक्ताओं को मीडिया स्वामित्व की स्पष्ट जानकारी होती है।

प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव के अनुसार मेरे अनुसार लेकिन यह राय है तथ्य नहीं है क्योंकि सरकार के नियम और कानून है जिनका पालन करना पड़ता है जैसे अखबार में एक फॉर्मे 8 आता है जिसे हर छह महीने में छापना पड़ता है। कौन प्रिंटर है पब्लिशर है कौन एडिटर हैं किसके कितने शेयर हैं सब करते हैं लेकिन पैसा कहां से आ रहा है बैलेंस शीट कैसे हेरफेर की जा रही है। उसके बारे में तो आप कुछ नहीं जान सकते हैं न आपको पता चल पाता है तो कागजों में तो मौसम बहुत गुलाबी है। एक अन्य वरिष्ठ पत्रकार ने इस विषय में कहा कि लीगल तौर पर तो स्वामित्व पारदर्शी हैं लेकिन जो लीगल तौर पर ओर हैं वास्तव में डमी हैं या नहीं हैं ये कैसे तय होगा।

3. क्या मीडिया स्वामित्व अत्यधिक केंद्रित है और क्या यह सामग्री की विविधता को प्रभावित करता है?

सर्वे से प्राप्त डाटा में सर्वाधिक (63.9% उत्तरदाता = पूर्ण सहमत 11.7%, सहमत 52.2%) उत्तरदाता ने इस कथन से सहमति व्यक्त की है कि मीडिया स्वामित्व अत्यधिक केंद्रित है और यह सामग्री की विविधता को प्रभावित करता है।

शोधार्थी द्वारा लिए गए साक्षात्कार में प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव सर के अनुसार हमारे देश की मीडिया में बहुत ज्यादा राजनैतिक मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक मुद्दों को जितना स्पेस मिलना चाहिए, नहीं मिलता है। शाम को सारे चैनल के डिबेट राजनैतिक मुद्दों पर ज्यादा रहती है, ऐसे मुद्दे जिन का जवाब हां या ना में नहीं है पर अगर हम महंगाई की बात करें या इंटरनेट किस तरह से हमारा जीवन बदल रहा है उससे जो समस्याएं हो रही हैं, अवसर मिल रहे हैं चुनौतियां आ रही हैं। इस तरह के मुद्दे हमारे टेलीविजन चैनलों से गायब है फिर भी मैं अखबारों के लिए कहूंगा कि विविधता है लेकिन हमारे चैनलों में वो विविधता नहीं है। कम से कम जो परंपरागत टेलीविजन चैनल हैं। अखबारों में और इंटरनेट में विविधता है लेकिन टेलीविजन चैनलों में नहीं और इसीलिए यह खत्म हो रहे हैं।

4. क्या समाचार उत्पादन और वितरण के साधनों पर प्रतिबंध है?

सर्वे से प्राप्त डाटा में कुल 35.7 उत्तरदाताओं (26.8% असहमत, 8.9% पूर्णतः असहमत) ने इस कथन से अहमति व्यक्त की है कि समाचार उत्पादन और वितरण के साधनों पर प्रतिबंध हैं।जबकि 35.8% उत्तरदाताओं ने इस कथन से सहमति व्यक्त की है कि समाचार उत्पादन और वितरण के साधनों पर प्रतिबंध हैं। 28.5% उत्तरदाताओं ने कुछ कह नहीं सकते विकल्प का चयन किया है।

प्रोफेसर प्रीति सक्सेना ने इस विषय में कहा कि प्रोडक्शन के लिए न्यूज प्रिंट की पॉलिसी है. इंडियन एक्सप्रेस को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें कितने प्रतिशत विज्ञापन होगा और कितने प्रतिशत न्यूज कंटेट होगा इस पर निर्णय दिया गया था। न्यूज प्रिंट की पॉलिसी आई थी की कितना प्रिंट किसी न्यूजपेपर को दी जायेगी। उस समय सं 1976 में न्यूज प्रिंट श्रीलंका से आता था और उसका आना काम हो गया था इसलिए उसको सभी न्यूज पेपर में समानता से वितरण के लिए न्यूज प्रिंट को निर्धारित किया गया था लेकिन बाद में इसे एक प्रतिबंध के रूप में देखा गया।

एक वरिष्ठ पत्रकार ने इस विषय में कहा कि ऐसा नहीं है लेकिन कभी कभार ऐसी कोई खबर आती है लेकिन ये बहुत रेयर है। जैसे एनडीटीवी बैन के बावजूद चल रहा था हाँ कहा गया कि कई जगह उसकी विजिबिलिटी कम कर दी गयी लेकिन बावजूद इसके वो चल रहा था, चल रहा है।

5. क्या मीडिया आउटलेट्स की स्थापना और संचालन से जुड़ी उच्च लागतें हैं? राज्य इसमें किस प्रकार की सहायता करता है ?

प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा कि भारत में जितने भी अखबार छप रहे हैं वह सरकारी सस्ती दरों पर छप रहे हैं बाकियों की लागत तो अधिक है लेकिन इंटरनेट ने यह समस्या भी हल कर दी है। आपके पास एक मोजो किट होनी चाहिए अपना एक यूट्यूब चैनल चलाइए और उसकी क्रेडिबिलिटी स्टैबलिश कीजिए और उससे अरनिंग भी कर सकते हैं।

एक सीनियर रिपोर्टर ने कहा कि मीडिया आउटलेट की आपने बात की है लेकिन अगर हम केवल एक फोटोग्राफर की बात करें जो उत्तर प्रदेश में काम करते हैं क्योंकि दिल्ली में तो फिर भी ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती और फोर्टओग्राफर्स के कैमरा लैंस ये सब लाखों रूपये के आते हैं इसमें सरकार के द्वारा किसी भी तरह की आर्थिक सहायता नहीं की जाती है केवल ट्राईपॉड्स भी बहुत महंगा आता है तो इन सब टूल्स का खर्चा करना होता है। युट्यूबर्स तो कैसा भी कैमरा आदि इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन जब आप किसी संस्था के लिए काम करते हैं तो आपको अच्छी क्वालिटी का कैमरा, लैंस आदि इस्तेमाल करना पड़ता है जैसे आप किसी प्रोटेस्ट को कवर करने जा रहे हैं तो आपको और मजबूत सामान इस्तेमाल करना होता है। मेरा खुद का कैमरा डेढ़ या पौने दो लाख का था और आप सोचिये अगर हमारी सैलरी पंद्रह हजार होगी तो हम कैसे मैनेज क्र पायेंगे क्योंकि हमारा लैंस ही पचास हजार का आयेगा। मुझे लगता है कि संस्थान या सरकार आदि को इस पर ध्यान देना चाहिए।

एक वरिष्ठ पत्रकार के अनुसार सरकार सीधे तौर पर कोई सहयोग नहीं करती है। सरकार पहले न्यूज़ एजेंसी को सहयोग करती थी जैसे पीटीआई , यूएनआई जिनका विज्ञापन का कोई सोर्स नहीं था। अभी भी न्यूज एजेंसी को सीधा सपोर्ट करती है। आकाशवाणी और दूरदर्शन जो कि गवर्नमेंट फंडेड हैं उसके अलावा प्राइवेट संस्थान को विज्ञापन के अलावा कोई सपोर्ट नहीं करती। सब्सिडी न्यूज प्रिंट पर थी अखबारी कागज पर लेकिन अब वो भी खत्म हो गयी। उसमें जीएसटी जरूर थोड़ा काम किया गया है।

पहले जब टेली प्रॉम्पटर लगाए जाते थे तो उसकी लाइन में सहूलियत मिल जाती थी वो भी एक सपोर्ट होता था सरकार की तरफ से।

6. क्या राज्य या अन्य प्रभावशाली व्यक्ति, कॉर्पोरेट्स आदि विज्ञापन या सब्सिडी के आवंटन के माध्यम से मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं?

सर्वे से प्राप्त डाटा में सर्वाधिक (72.6%) उत्तरदाताओं ने सरकार या अन्य प्रभावशाली व्यक्ति, कॉर्पोरेट्स आदि विज्ञापन या सब्सिडी के आवंटन के माध्यम से मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं।

7. क्या पत्रकारों या मीडिया आउटलेट्स को निजी या सार्वजनिक स्रोतों से भुगतान प्राप्त होता है जिनका उद्देश्य उनकी पत्रकारिता सामग्री को प्रभावित करना है?

सर्वे से प्राप्त डाटा में सर्वाधिक (कुल 63% = सहमत 49.2%, पूर्ण सहमत 13.8%) उत्तरदाताओं ने पत्रकारों निजी या सार्वजनिक स्रोतों से भुगतान प्राप्त होता है जिनका उद्देश्य उनकी पत्रकारिता सामग्री को प्रभावित करना होता है। 18. 2% ने कुछ कह नहीं सकते विकल्प का चयन किया है। 14.9% ने इस कथन से असहमति व्यक्त की है।

8. क्या समग्र आर्थिक स्थिति मीडिया आउटलेट्स की वित्तीय स्थिरता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है?

सर्वे से प्राप्त डाटा में 58.3% उत्तरदाताओं ने इस कथन से असहमति व्यक्त की है कि पत्रकारों को मिलने वाले आय एवं भत्ते आदि संतोषजनक हैं। 30.8% उत्तरदाताओं ने इस कथन से सहमति व्यक्त की है। जबकि 11% ने कुछ कह नहीं सकते विकल्प का चयन किया है।

प्रोफेसर प्रीति सक्सेना ने इस प्रश्न के जवाब में कहा कि बिलकुल करते होंगे। कई बार सरकारी योजनाओं एवं आयोजनों के पूरे पेज विज्ञापन आते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक ऑर्डर दिया कि जब चुनाव होते हैं तो जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं वो पूरे पेज के विज्ञापन देते हैं जबकि दूसरे दल ऐसा नहीं कर पाते किन किन लोगों की फोटो अखबार पर छपेंगी और किस साइज की छपेंगी तो उसमें तीन लोगों का नाम था - भारत के राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री। इसके अतिरिक्त सभी नेताओं की नहीं छपेगी क्योकि ये चुनाव में धन के प्रभाव को दिखाने से संबंधित मामला है। क्योंकि जब पहले पेज पर ही फुल पेज विज्ञापन होगा तो पाठक उसको जरूर पढ़ेंगे

और इससे उस व्यक्ति की छवि कहीं न कहीं पाठक के मन में जायेगी जिसका प्रभाव दूरगामी रूप से मत निर्णय पर पड़ता है इसलिए ऐसा प्रतिबंध लगाया गया था लेकिन आज इसका कितना पालन हो रहा है यह शोध का विषय हो सकता है।

पूर्व प्रोफेसर संतोष कुमार तिवारी ने इस विषय में कहा कि जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के मीडिया संस्थान में आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार का सहयोग प्रदान करता है वो मीडिया की सामग्री को प्रभावित करता है। मीडिया संस्थान किसी भी प्रकार का हो सकता है चाहे वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या डिजिटल मीडिया हो। प्रतिबंध कानूनी तौर से भी होते हैं और आर्थिक रूप से निर्भरता का प्रभाव भी मीडिया की स्वतंत्रता पर पड़ता है। आर्थिक निर्भरता के सामने कई बार जरूरी गाइडलाइंस आदि सभी धुंधली पड़ जाती है।

9. पत्रकारों की मिलने वाले आय एवं भत्ते आदि संतोषजनक हैं अथवा नहीं ? इस संबंध में पूर्व में गठित समितियों एवं कानूनों का कितना पालन हो रहा है ?

सर्वे से प्राप्त डाटा में सर्वाधिक (52.2% = असहमत 37.9,पूर्णतः असहमत 14.3%) उत्तरदाताओं ने इस कथन से असहमति व्यक्त की है कि पत्रकारों की आय के संबंध में पूर्व में गठित समितियों एवं कानूनों का पालन हो रहा है। जबकि 22.5% ने इस कथन से सहमति व्यक्त की है। जबकि 25.3% ने कुछ कह नहीं सकते विकल्प का चयन किया है।

शोधार्थी द्वारा लिए गए साक्षात्कार में प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव ने कहा कि पालन नहीं हो रहा है, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है या क्षेत्रीय भाषाएँ हैं उनमें जो शुरुआत होती है वह बहुत कम आय से शुरुआत होती है। दस हजार, बारह हजार, पंद्रह हजार या ज्यादा से ज्यादा बीस हजार जबकि बच्चे आज कल इतनी महंगी महंगी फीस देकर के आते हैं उसके बाद जितनी मेहनत इस फील्ड में टिके रहने के लिए करते हैं उतनी कहीं और की जाए तो ज्यादा सफल होने की संभावना हो सकती है।यही एक बड़ा कारण है भारत में जो पत्रकारिता का स्तर है वह उतना शानदार नहीं है क्योंकि आप जो शानदार टैलेंट है उसको रोक नहीं पाते हैं क्योंकि उसे अपनी मेहनत का उतना रिवॉर्ड नहीं मिल पाता है। ये ही एक कारण है जो हमारे एंकर है वो कहीं न कहीं, ऐसा लगता है, मानना पड़ेगा, अब क्या ही बोले जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और जो उससे बेहतर लोग थे वो किसी और व्यवसाय में चले गए हैं, कोई और काम कर रहे हैं और जो मीडियोकर टाइप के लोग हैं वही बचे हैं।

रांची सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता विभाग के सेवानिवृत्त प्रोफ़ेसर संतोष कुमार तिवारी ने इस विषय में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी वेज बोर्ड का पालन मीडिया संस्थाओं के द्वारा नहीं किया गया और आगे इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेकर कुछ भी नहीं किया। आज के दौर में वेज बोर्ड पूरी तरह से किनारे हो गए हैं क्योंकि वेज बोर्ड पद के अनुरूप वेतन निर्धारित करता है जिसमें संपादक, उपसंपादक, पत्रकार सभी के वेतन निर्धारित होते हैं। जबकि आज के मीडिया संस्थान स्पष्ट रूप से कर्मचारियों के पद निर्धारित नहीं करते। वेज बोर्ड केवल प्रिंट मीडिया के लिए बनाये गए थे जिनके नियम डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि में लागू नहीं किये जा सकते। कोर्ट भी इन्हें लागू करने में कहीं न कहीं अक्षम सिद्ध हुआ है।

शोध सीमाऐं एवं सुझाव -

प्रस्तुत शोध में सर्वे का क्षेत्र उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पत्रकारों तक सीमित है यदि इस शोध अध्ययन को सम्पूर्ण भारत में किया जाए तो पत्रकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की स्थिति एवं समस्याओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।इसी प्रकार विषय विशेषज्ञों के साक्षात्कारों की संख्या को भी और अधिक संख्या में साक्षात्कार करके विषय विशेषज्ञों की राय को अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। शोध अध्ययन की अवधि भी पीएचडी शोध अवधि के अंतर्गत 4 वर्षों की रही है जिसे अधिक लम्बी अवधि तक करके बेहतर परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं।